

छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक- एफ 2-10/2013/56/

नया रायपुर, दिनांक 05/01/2018

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
3. संभागीय आयुक्त, समस्त, छत्तीसगढ़
4. कलेक्टर, समस्त, छत्तीसगढ़


विषय-वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली के उपयोग बावत।

संदर्भ-मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक 141/मु.स./2004 दिनांक 15/10/04।

संदर्भित पत्र के तारतम्य में अनुरोध है कि वर्ष 2018 के लिए विभागीय वीडियो कांफ्रेंसिंग हेतु समय-सारिणी इस पत्र के संलग्न भेजी जा रही है। यह वीडियो कांफ्रेंसिंग नया रायपुर मंत्रालय के एम-1/10 में स्थापित वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष से की जायेगी।

प्रत्येक विभाग के प्रमुख एवं अधीनस्थ अधिकारीगण इस प्रणाली का उपयोग कर जिला/ संभागीय एवं अन्य अधिकारियों से निर्धारित दिवस को दोपहर 2.00 बजे से वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।


एलेक्स पॉल मेनन
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक- एफ 2-10/2013/56/


नया रायपुर, दिनांक 05/01/2018


प्रतिलिपि-

1. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय नया रायपुर को सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, रायपुर को सूचनार्थ।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन आई सी, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं की गई वीडियो कांफ्रेंस की मासिक जानकारी उपलब्ध कराएं।

श्री/के/के
221
12/01/2018

NFC




संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागवार जिले से वीडियो कांफ्रेंसिंग की समय सारिणी वर्ष 2018

क्र.	विभाग का नाम	माहवार वीडियो कांफ्रेंसिंग की तिथि (दर्शाये अनुसार प्रति दिन दोपहर 2 बजे से)											
		जनवरी 18	फरवरी 18	मार्च 18	अप्रैल 18	मई 18	जून 18	जुलाई 18	अगस्त 18	सित. 18	अक्टू. 18	नव. 18	दिस. 18
1	सामान्य प्रशासन विभाग एवं जन शिकायत निवारण, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	
2	गृह विभाग (पुलिस), जेल एवं परिवहन	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	
3	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	
4	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	
5	वन विभाग	5	6	6	6	5	6	6	6	6	5	6	
6	वित्त, वाणिज्यिक कर (दोपहर 2 से 4 बजे तक), योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (दोपहर 4 से 5 बजे तक)	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	9	
7	वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं ग्रामोद्योग विभाग	8	8	8	9	8	8	9	8	10	8	12	
8	नगरीय विकास विभाग	9	9	9	10	9	11	10	9	11	9	13	
9	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (दोपहर 2 से 4 बजे तक), श्रम विभाग (दोपहर 4 से 5 बजे तक)	10	12	12	11	10	12	11	10	12	10	14	
10	जल संसाधन एवं आयाकट विभाग	11	13	13	12	11	13	12	13	14	11	15	
11	कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पशुधन विकास एवं मछलीपालन विभाग	12	15	14	13	12	14	13	14	17	12	16	
12	आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग	15	16	15	16	15	15	16	16	18	15	19	
13	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	16	19	16	17	16	18	17	17	19	16	20	
14	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	17	20	19	18	17	19	18	20	20	18	22	
15	आवास पर्यावरण एवं पर्यावरण (दोपहर 2 से 4 बजे तक), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सू प्रौ विभाग (दोपहर 4 से 5 बजे तक)	18	21	20	19	18	20	19	21	22	22	24	
16	लोक निर्माण विभाग	19	22	21	20	19	21	20	23	24	23	26	
17	उच्च शिक्षा, (दोपहर 2 से 3 बजे तक) कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (दोपहर 3 से 5 बजे तक)	22	23	22	23	22	22	23	24	25	24	27	
18	स्कूल शिक्षा विभाग (दोपहर 2 से 4 बजे तक), पर्यटन, संस्कृति, खेल एवं युवक कल्याण विभाग (दोपहर 4 से 5 बजे तक)	23	24	23	24	23	23	24	25	26	25	28	
19	जनसम्पर्क विभाग	24	26	24	25	24	25	25	27	27	26	29	
20	समाज कल्याण (दोपहर 2 से 3 बजे तक), महिला एवं बाल विकास विभाग (दोपहर 3 से 5 बजे तक)	25	27	26	26	25	26	26	28	28	29	30 (2-3 PM)	
21	ऊर्जा विभाग	27	28 (2-3 PM)	27	27	27	27	27	29	29 (2-3 PM)	30	30 (3-4 PM)	
22	सहकारिता विभाग	29	28 (3-4 PM)	28	28 (2-4 PM)	29	29	28	30	29 (3-4 PM)	31 (2-4 PM)	30 (4-5 PM)	
23	खनिज साधन विभाग	30	28 (4-5 PM)	31	28 (4-5 PM)	30	30	30	31	29 (4-5 PM)	31 (4-5 PM)	31	

OSD